—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

// संशोधित आदेश //

क्रमांक....167../एक—11—1/11 उज्जैन, दिनांक .....25.. नवम्बर, 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(8) में प्रदत्त ाक्तियों के अनुक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने किसी शासकीय/प्रशासकीय कार्य से प्रवास पर रहने या अन्य किसी परिस्थिति में एवं मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने के फलस्वरूप सत्र न्यायालय में लंबित एवं प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई एवं विधिवत् निराकरण हेतु (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में जारी आदेशों को छोड़कर) सारणी के स्तंभ क्रमांक 2 में उल्लेखित मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण (प्रत्येक के द्वारा) कम से कम 01—01 जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई एवं निराकरण किया जायेगा।

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम
1	श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन
2	श्री संजय श्रीवास्तव पंचम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
3	श्री विवेक कुमार चंदेल अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
4	श्री कपिल नारायण भारद्वाज द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
5	श्री अमित कुमार गुप्ता सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन
6	श्री संतोष सैनी एकादश जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
7	श्री पवन कुमार पटेल तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
8	श्री हेमन्त सविता द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन
9	श्री विकास चौहान नवम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन

नोट :—

(1) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले **पाक्सो** से संबंधित जमानत आवेदन पत्र **श्री हर्ष मदौरिया, षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) उज्जैन** के न्यायालय में प्रभारी जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे।

(2) समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिला उत्पीड़न से संबंधित (पाक्सो को छोड़कर) जमानत आवेदन पत्र **श्रीमती मंजुल पाण्डेय, दशम् अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन** के न्यायालय में प्रभारी जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे।

(3) **उपरोक्त पदस्थ न्यायाधीशगण में से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके पद उत्तरवर्ती न्यायाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य संपादित किया जावेगा।**

(4) एक ही प्रकरण में उसी अभियुक्त का पश्चात्वर्ती (अग्रिम/नियमित) आवेदन–पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन–पत्र का निराकरण करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(5) एक ही प्रकरण में सह अभियुक्त के जमानत आवेदन–पत्र का निराकरण उसी अपर सत्र न्यायालय द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा अन्य सह अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निराकरण किया गया है। यदि पूर्व में एक से अधिक सह अभियुक्त की भिन्न–भिन्न न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की है, तब उनमें से उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश को आवेदन–पत्र अंतरित माना जावेगा।

(6) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की दशा में प्रभारी जिला न्यायाधीश के माध्यम से जमानत आवेदन पत्र उक्त आदेशानुसार संबंधित को प्रेषित किये जावेंगे।

(7) ऐसे किसी अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण यदि रिक्त न्यायालय द्वारा किया गया है तो उक्त प्रकरण से संबंधित जमानत आवेदन पत्र का निराकरण पूर्वानुसार कार्य विभाजन पत्रक अनुसार प्रभारी अधिकारी ही संपादित करेंगे, प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश रिक्त न्यायालय का कार्य संपादित करेंगे।

(8) नवीन जमानत आवेदन पत्र से संबंधित मूल सत्र प्रकरण जिस न्यायालय में लंबित है, उसी न्यायालय द्वारा ऐसा जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया जावेगा।

(9) उपरोक्त आदेशानुसार संबंधित न्यायालय को प्रेषित जमानत आवेदन उसी न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

(10) उपरोक्त सूची में यदि कोई न्यायाधीश अवकाश पर जाते हैं तो प्रस्तुत होने वाले प्रथम जमानत आवेदन पत्र उनके अगले क्रमानुसार अंकित न्यायाधीशगण को प्रभारी जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे।

(11) इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश अपास्त किये जाते हैं। उक्त आदेश आज दिनांक से प्रभावशील होगा।

25.11.25

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

10736-10751

पृ.क्रमांक...../एक–11–1/11 उज्जैन, दिनांक ..... नवम्बर, 2025

26 NOV 2025

प्रतिलिपि :–

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उज्जैन
2. .....
   अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. उपसंचालक अभियोजन कार्यालय उज्जैन
4. लोक अभियोजन कार्यालय, उज्जैन
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ उज्जैन
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)